अंचल अधिकारी .... का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या– 96/16-17

वाद का प्रकार– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र, संख्या–3–खा0ग0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक–03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा– ...... थाना– .... खाता संख्या– 55 प्लॉट संख्या– 166 .... रकबा– 2.65 एकड़ की भूमि जो गैरमरुआ खास, अनावाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या– .... के पृष्ठ संख्या– 144/2 पर जमाबंदी रैयत .... के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेज़ों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक– 15/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

E:\Sec 5 New\Awaidh Jamabandi.docx

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- यूसुफ मियां, S/O यूसुफ मियां ग्रा० नौडीहा

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
नौडिहा		55	166	0.-65

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या............ पृष्ठ सं०– 144/2 पर कायम है –

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – 02-203

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :-

6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :– S.DO Sadar

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती – 11/02-03

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू–हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
7	4937679	24/5/17	2002-03 से 2011-12

[signature]

आदेश की क्र0स0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
03/11/2025	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि "मौजा–नौडीहा में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं0–55, प्लौट सं0– 166 रकबा 0.65 ए0 पर युसुफ मियां पिता युशर मियां के द्वारा जोत–कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदा0 सदर मेदिनीनगर के बंदोबस्ती वाद सं0 11/2002–03 के अन्तर्गत को मौजा–नौडीहा थाना नं0–346 के अंतर्गत उक्त खाता सं0–55, प्लौट सं0– 166, रकबा 0.65 ए0 की बंदोबस्ती उक्त रैयत युसुफ मियां पिता युशर मियां के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा नौडीहा के मांग पंजी II के पेज सं0 144/III पर दर्ज होकर वर्ष 2011–12 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।" अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई......समाप्त......की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 03/11/2025 अंचल अधिकारी, मनातू। 03/11/2025 अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में
अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू।

विषय:- अवैध जमाबंदी केस न० 96/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि- मौजा नौडिहा में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जाँच किया। जाँच में पाया कि- गै० मजरुआ खाता सं० 55 प्लॉट सं० 166 रकबा 0.65 एकड़ पर युसुफ मियाँ S/o- जुम्मन मियाँ के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जाँच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनु० पदा० के बंदो० वाद सं० 11/02-03 के अन्तर्गत दिनांक को मौजा नौडिहा के अन्तर्गत उक्त खाता सं० 55 प्लॉट सं० 166 रकबा 0.65 ए० की बन्दोबस्ती युसुफ मियाँ S/o - लुकमान मियाँ के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा नौडिहा के मांग पंजी II के पेज न० 144/III पर दर्ज होकर वर्ष 2011-12 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।

03/11/2018

विश्वासभाजन
चौरिन्द्र [illegible]
राज० उ० नि०

RSI + CI

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या ....96..../2016(अन्तर्गत धारा 4(h),BLR Act,1950)

नोटिस

बनाम अमुल मियां S/O मुभार मियाँ
सा० - नौडिहा

एतद् नोटिस द्वारा आपाको सूचित किया जाता है कि मैजा ...नौडिहा... थाना नं0........ खाता नं0.....55.. खेसरा नं0...166.....रकबा...0.65.......: से संबंधित आपके नाम से हो0 नं0........ पंजी भाग के पृष्ठ ....144......पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक माध्यम से जॉचोपरान्त संदिन्ध प्रतिवेदित किया है ।

अतएव आप उक्त संबंध मे दिनांक .... को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न मे उक्त रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमीदारी रसीदो, फार्म सरकार मे जमीदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं त साक्ष्यो की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तूत करे ।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति मे समझा जायेगा कि उक्त संबंध मे आपको कुछ नही क तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुचते हुए दर्ज जमाबंदी के मे युक्ति युक्त निर्नय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जाएगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथि :

मुहर

स्थान :

24/10/24
अंचल अधिकारी
अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू

Digitally signed by MADAN KUMAR SUMAN
Date: 2025.11.07 12:23:52 +05:30
Location: 10.91.44.140